संख्या- /2023/ /001-74-2002-001-5-2022

प्रेषक,

सुनील कुमार वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रेशम विकास विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

रेशम विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक मार्च, 2023

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग औद्यानिक एवं रेशम विकास) में "लेखा शीर्षक-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-107-रेशम उत्पासदन उद्योग-04-लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल राजकीय रेशम प्रशिक्षण संस्थान, बरकछा मिर्जापुर" के अन्तर्गत वितीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-590/सेरी0/लेखा/लौह पु0/2022-23, दिनांक 01 मार्च, 2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) में लेखा शीर्षक "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-107-रेशम उत्पादन उद्योग-04-लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल राजकीय रेशम प्रशिक्षण संस्थान, बरकछा मिर्जापुर" हेतु कुल प्रावधानित धनराशि रू0 51.00 लाख (रूपये इक्यावन लाख मात्र) के सापेक्ष रू0 20.50 लाख (रूपये बीस लाख पचास हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित विवरण के अनुसार निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(धनराशि रूपये लाख में)

मद संख्या एवं मद का नाम	प्राविधानित धनराशि	अवमुक्त धनराशि	अवशेष आवश्यक धनराशि जिसको अवमुक्त किया जाना है
02-मजदूरी	2.00	1.00	1.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

08-कार्यालय व्यय	3.00	1.50	1.50
09-विद्युत देय	5.00	2.50	2.50
15-गाड़ियो का अनुरक्षण पेट्रोल आदि की खरीद	3.00	1.50	1.50
16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	1.00	0.50	0.00
29-अनुरक्षण	15.00	9.50	5.50
41-भोजन व्यय	0.50	0.25	0.25
42-अन्य व्यय	8.50	4.25	4.25
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	2.00	1.00	1.00
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	5.00	2.50	2.50
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण एवं तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	1.00	0.50	0.50
56-नगर प्रतिकर भत्ता	5.00	0.00	0.00
योग	51.00	25.00	20.50

(रूपये बीस लाख पचास हजार मात्र)

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना के दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।
2. प्रस्ताव में आकड़ों की शुद्धता का दायित्व प्रशासकीय विभाग का होगा।
3. प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह प्रशासकीय विभाग का उत्तरदायित्व रहेगा।
4. वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निदेशन पर रखे जाने से पूर्व प्रशासकीय विभाग के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाय। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निदेशन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।
5. जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
6. प्रशा0 विभाग सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर ले।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेव साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7. विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

8. कोषागार से एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

9. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय- समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **लेखाशीर्ष:** 2851001070400 (लौह पुरूष सरदार बल्लभ भाई पटेल राजकीय रेशम प्रशिक्षण संस्थान, बरकछा , मिर्जापुर)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	010	2851001070400 लौह पुरूष सरदार बल्लभ भाई पटेल राजकीय रेशम प्रशिक्षण संस्थान, बरकछा , मिर्जापुर	02 मजदूरी	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
2	010	2851001070400 लौह पुरूष सरदार बल्लभ भाई पटेल राजकीय रेशम प्रशिक्षण संस्थान, बरकछा , मिर्जापुर	08 कार्यालय व्यय	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
3	010	2851001070400 लौह पुरूष सरदार बल्लभ भाई पटेल राजकीय रेशम प्रशिक्षण संस्थान, बरकछा , मिर्जापुर	09 विद्युत देय	2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र)
4	010	2851001070400 लौह पुरूष सरदार बल्लभ भाई पटेल राजकीय रेशम प्रशिक्षण संस्थान, बरकछा , मिर्जापुर	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
5	010	2851001070400 लौह पुरूष सरदार बल्लभ भाई पटेल राजकीय रेशम प्रशिक्षण संस्थान, बरकछा ,	29 अनुरक्षण	5,50,000 (रुपये पांच लाख पचास

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		मिर्जापुर		हजार मात्र)
6	010	2851001070400 लौह पुरूष सरदार बल्लभ भाई पटेल राजकीय रेशम प्रशिक्षण संस्थान, बरकछा , मिर्जापुर	41 भोजन व्यय	25,000 (रुपये पच्चीस हजार मात्र)
7	010	2851001070400 लौह पुरूष सरदार बल्लभ भाई पटेल राजकीय रेशम प्रशिक्षण संस्थान, बरकछा , मिर्जापुर	42 अन्य व्यय	4,25,000 (रुपये चार लाख पच्चीस हजार मात्र)
8	010	2851001070400 लौह पुरूष सरदार बल्लभ भाई पटेल राजकीय रेशम प्रशिक्षण संस्थान, बरकछा , मिर्जापुर	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
9	010	2851001070400 लौह पुरूष सरदार बल्लभ भाई पटेल राजकीय रेशम प्रशिक्षण संस्थान, बरकछा , मिर्जापुर	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र)
10	010	2851001070400 लौह पुरूष सरदार बल्लभ भाई पटेल राजकीय रेशम प्रशिक्षण संस्थान, बरकछा , मिर्जापुर	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
	कुल			**20,50,000 (रुपये बीस लाख पचास हजार मात्र)**
महायोग		20,50,000 (रुपये बीस लाख पचास हजार मात्र)		

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न सख्या - E-1-584-X-2022-23-दिनांक:25-3-2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

भवदीय,

(सुनील कुमार वर्मा)
विशेष सचिव,

संख्या- /2023/ /001-74-2002-001-5-2022, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम व द्वितीय, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(3) वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, रेशम निदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त (व्यंय-नियंत्रण) अनुभाग-1
(6) वित्त (आय-व्य यक) अनुभाग-1/2,
(7) समन्वय अनुभाग/उद्यान अनुभाग।
(8) नियोजन अनुभाग-4
(9) गार्ड फाईल/कार्यालय प्रति।

आज्ञा से,

(परमात्मा यादव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।